गरीब छात्रों के अभिभावकों की जेब को निशाना बनाया नेहरू कॉलेज प्रशासन ने

विवेक की ग्राउंड जीरो से पड़ताल

राजकीय नेहरू कालेज फरीदाबाद में पढ़ने वाले बच्चों की जेब पर डाका उनके अपने ही कालेज प्रशासन ने डाला है। 600 से अधिक विद्यार्थियों पर 5000/- का जुर्माना इम्तिहान के लिए जरूरी कागजात वक्त पर जमा न करने के नाम पर लगाया गया है। कालेज प्रशासन की ओर से जहाँ प्रिंसिपल समेत किसी ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया वहीँ छात्रों का कहना है कि कालेज मनमाने रूप में उनसे ये जुर्माना वसूल रहा है।

रेणु बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और उनपर भी ये जुर्माना ठोका गया है। रेणु ने बताया कि कालेज में दाखिला लेते समय ही उन्होंने अपने सभी कागजात जमा करवा दिए थे तो अब इम्तिहान के लिए दोबारा कागज मांगने की क्या जरूरत है कालेज को।

सुशील ने लगभग रुआंसा सा होते हुए बताया कि भईया जी मैंने तो दाखिले के समय पर भी कागज जमा कराये थे और इम्तिहान के लिए कागज माँगने पर भी कागज जमा कराये थे। पर अब न जाने कैसे इन लोगो ने मेरा नाम उस लिस्ट में डाल दिया जिसमें कागज जमा नहीं कराये हों। मेरे पिता जी फलों का ठेला लगाते हैं और उनकी आमदनी ऐसी नहीं कि इतनी बढ़ी रकम बतौर फाइन वो भर सकें।

एक अन्य छात्रा पिंकी जो पलवल से रोजाना फ़रीदाबाद नेहरू कालेज पढ़ने आती है की समस्या आर्थिक के साथ पारिवारिक भी है। पिंकी ने बताया कि इम्तिहान के लिए मांगे गए सभी कागज खुद उन्होंने लाइन में लग कर जमा किये थे और अब ये कैसे संभव है कि उनपर इसी बात का जुर्माना लगाया गया कि कागज जमा नहीं हैं। पिंकी ने अब तक ये बात अपने परिवार में किसी को नहीं बतायी है। उनके पिता फल की ठेली लगाते हैं और इतनी बड़ी रकम वो दे ही नहीं सकते ऊपर से घर वाले रोज उनके पिता को ताने देते हैं कि मेरी पढाई पर वो फिजूल खर्च कर रहे हैं। यदि ये बात घर में बतायी तो बड़ी समस्या आ सकती है। अब वो क्या करे ये नहीं समझ आ रहा।

एनएसयूआई फ़रीदाबाद के छात्र नेता कृष्ण अत्री ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि इस मुद्दे को वो छात्रों के बीच में काफी वक्त पहले ही ले जा चुके थे परंतु उस समय किसी भी छात्र ने इसमें अपनी रूचि नहीं दिखायी। छात्र यही समझते रहे कि

छात्र नेता कृष्ण अत्री : सबको पता है पर होता कुछ नहीं

इसमें शायद मेरा अपना कोई स्वार्थ है किन्तु मुझे मालूम था कि ये बदमाशी कालेज स्तर पर हुई है।

इस बदमाशी का पता कृष्ण को कैसे था, जिसपर उन्होंने बताया कि वह स्वयं अपने रिश्तेदार के इम्तिहान के लिए मांगे गए कागजात जमा करके आये थे। फॉर्म जमा करने के बाद क्लर्क ने उनसे कुछ नहीं कहा बल्कि आपस में दुआ सलाम करके वह भी आ गए। कुछ वक्त बाद कालेज प्रशासन में मौजूद उनके सूत्रों ने इस लापरवाही का भेद उन्हें दिया। कृष्ण ने इसकी जांच अपने स्तर पर की तो पता चला कि अभी 2500/- रुपए तक का जुर्माना लगभग 650 बच्चों पर लगाया जा चुका है। इस मुद्दे को लेकर कृष्ण अत्री ने 8 अक्टूबर को एक धरना प्रदर्शन भी किया था जो बेनतीजा रही और कालेज प्रशासन ने अब वही जुर्माना बढ़ा कर 5000/- रुपया कर दिया।

कालेज के कई अन्य छात्र - छात्राओं से बात करने पर सम्मिलित रूप से एक बात सामने आई कि कालेज प्रशासन सिर्फ ये कह रहा है कि हमारे हस्ताक्षर किसी एक विशेष रजिस्टर में नहीं हैं तो इससे सिद्ध होता है कि हमने कागजात जमा नहीं कराये। जबकि कागज जमा कराते समय किसी भी तरह का न तो कोई रजिस्टर था न ही कोई हस्ताक्षर करने को कहा गया था। अब कोई कैसे मान ले कि कौन से रजिस्टर की बात हो रही है। अगर साइन करने का प्रावधान था तो ऐसा कैसे संभव है कि 650 बच्चों ने साइन ना किये हों। कृष्ण अत्री ने बताया, उनसे भी किसी साइन की बात नहीं कही गई थी। और ये रजिस्टर में साइन की बात तो खुद बनायी हुई है ताकि प्रशासन अपनी गलती छुपा सके। अगर साइन नहीं किये थे तो इसकी सूचना पहले क्यों नहीं जारी की गई ?

छात्रों में ज्यादातर की एक शिकायत ये थी कि यदि 650 बच्चों के हस्ताक्षर रजिस्टर में नहीं हैं तो अब ऐसा कैसे संभव हुआ कि 400 बच्चों के रोल नंबर तो जारी कर दिए परन्तु अन्य बचे लगभग 250 बच्चों को रोल नंबर नहीं दिए जा रहे ? ये भी अजब बात थी एक ही मामले में अलग अलग कार्यवाही हो रही है। कालेज प्रशासन से इसपर अपना रुख साफ करने के सवाल का जवाब प्रिंसिपल साहिबा ने अनमने मन से ये कहते हुए दिया कि पहले आप अपना पहचान पत्र दिखायें, बिना इसके मैं आपको कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ।

प्रथम दृष्टा जहाँ इस पूरे प्रकरण में साफ दिखाई देता है कि कालेज प्रशासन की गलती है या बड़ी भूमिका है इस लूट को करने में। तो वहीँ प्रिंसिपल की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। बच्चों को रोल नंबर न देना ये दर्शाता है कि सरकार और उसकी संस्थाएं युवाओं के भविष्य को लेकर कितनी उदासीन हैं। नेहरू कालेज में आने वाला बच्चा रेसर नहीं है जिसके एक माह का खर्चा पिज्जा या स्नैक्स पर ही उतना हो जितना किसी निजी कालेज के बच्चे का। सरकार को ये समझना चाहिए कि अपनी इस प्रकार की लापरवाहियों की सजा यदि इन गरीब बच्चों को देते रहे तो शिक्षा की पहुँच इन बच्चों तक दुर्लभ होती जाएगी जो पहले से ही कुछ कम दुर्लभ नहीं।

जुर्माना तो सरकार के शिक्षा प्रबंधकों पर लगाना चाहिए.....

विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा होने तक के लिए आन्दोलन करना पड़ता है, इस त्रासदी का साक्षात नमूना फिलहाल फ़रीदाबाद के सबसे 'प्रतिष्ठित' सरकारी कॉलेज, सेक्टर 16 स्थित नेहरू कॉलेज में देखने को मिलेगा। जबकि शिक्षा को समाज को सभ्य और परिपक्व बनाने का माध्यम होना चाहिए था।

क्या नेहरू कालेज को असाध्य रूप से बीमार करने का एजेंडा चल रहा है? कॉलेज की मुख्य इमारत जर्जर अवस्था में पड़ी है। प्रिन्सिपल ऑफिस और अधिकांश क्लास रूम भी इसी इमारत में चल रहे हैं। ऐसे में हास्यास्पद है कि कालेज प्रशासन ने बोर्ड लगा कर सभी को इमारत से दूर रहने की चेतावनी जारी कर रखी है। वे और करें भी क्या ? जिस दिन कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी राज्य का शिक्षा विभाग, जो स्वयं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, जांच का नाटक करने के लिए हाजिर हो जाएगा। कहां है शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा!

नेहरू कॉलेज की मुख्य बिल्डिंग को नए सिरे से बनवाने का स्वांग रचते रचते कई वर्षों में बमुश्किल 6000 छात्रों के लिए बिल्डिंग की सिर्फ एक ड्राइंग तैयार हुई थी। परंतु अब मंत्री विपुल गोयल ने तैयार ड्राइंग को ये कहते हुए खारिज करवा दिया कि हम 15000 छात्रों को ध्यान में रखकर नयी बिल्डिंग बनवायेंगे जिसके लिए नया खाका तैयार करना पड़ेगा। मतलब कि जब गोल न कर सको तो गोलपोस्ट ही बदल दो।

दरअसल, नेहरू कॉलेज क्या, तमाम कालेजों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जहाँ एक ओर सरकार स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर शौचालय बनवाने की डींगें हांक रही है वहीँ उच्च शिक्षण संस्थानों में इस बुनियादी सुविधा को लेकर भी छात्रों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है।

नेहरू कॉलेज के छात्रों की मानें तो वे इन सब मांगों के साथ जब प्रिंसिपल से मिले तो उन्हें टाल दिया गया कि ये सब कार्य कर पाने के शक्तियां उनको प्राप्त नहीं हैं। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र संगठन मंत्री विपुल गोयल से भी 23 जुलाई को मिले थे जहाँ मंत्री ने मात्र दो दिन में निदान कर देने का जुमला चिपका सबको चलता किया। तब से लेकर आज तक इन मुद्दों पर सांस तक नहीं ली मंत्री ने।

मुकेश अम्बानी के जिओ यूनिवर्सिटी जैसे कागजी संस्थानों को 1000 करोड़ रुपये देने वाली मोदी सरकार जमीन पर कार्यरत शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने पर तुली है और हरियाणा में भाजपा की खट्टर राज्य सरकार भी पीछे नहीं। लगता है सरकारी संस्थान बर्बाद कर निजी और फर्जी संस्थानों को बढ़ावा दे कर अपनी जेबें भरना इनका एकमात्र उद्देश्य है।

शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर सरकारें भीड़ तंत्र में इजाफा करने को ही अंजाम देने में लगी हैं। नेहरू कॉलेज विवश छात्रों ने बार-बार इस संवाददाता से कहा कि पढने और बैठने की मूलभूत व्यवस्था न दे पाने वाली सरकार किसे स्मार्ट बनाने का ढोंग रच रही है। शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं दिए बिना कॉलेज अपनी जेबें हमपर यहाँ-वहाँ के जुर्माने लगा कर भर रहा है, जबकि जुर्माना तो कालेज पर लगना चाहिए जो फीस लेकर एक सुरक्षित बिल्डिंग तक मुहैया नहीं करा रहा। यह स्थिति खट्टर सरकार के रोजगार प्रबंधन के खोखले दावों और विशेषकर शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के दयनीय शिक्षा नेतृत्व को आईना दिखाने वाली है।

नगर निगम में प्रकट हो रहे अरबों के घोटाले, क्या रिकवरी हो पायेगी ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) निगमायुक्त मोहम्द शाइन द्वारा कराये जा रहे ऑडिट में अभी तक 200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले तो उज़ागर हो चुके हैं। शेष अभी ऑडिट पूरा होने के बाद सामने आयेंगे। अभी तक सामने आये ये घोटाले प्लानिंग व इन्जीनियरिंग विभागों से ही सम्बन्धित हैं। पकड़ में आये घोटाले तो केवल वे घोटाले हैं जिनमें ऑडिट व अन्य विभागीय नियमों को ताक पर रख कर सरकारी पैसा डकारा गया था। यदि नियम-कायदों की खानापूर्ति करके यही पैसा डकारा जाता तो कभी भी पकड़ में नहीं आता।

दरअसल निगम के अधिकारी सरकार का माहौल देख कर इतने स्वछंद हो गये थे कि उन्होंने नियम-कायदों की परवाह तक करनी छोड़ दी थी। ऐसा वे इसलिये करते थे क्योंकि लूट के माल में से हिस्सा-पत्ति सरकार के उच्चतम स्तर तक जाती थी, ऐसे में उनका निर्भीक होकर डकैती मारना स्वाभाविक था।

लेकिन जो अधिकारी भ्रष्ट होने के साथ-साथ चतुर एवं सयाने थे उन्होंने डकैती तो पूरी मारी लेकिन काग़जी कार्यवाही पूरी करके फ़ाइलों का पेटा ऐसा भर दिया कि ऑडिट की पकड़ में कभी नहीं आ सकते। इस तरह की सुरक्षित लूट की रकम पकड़े गये घोटालों की रकम से कई गुणा अधिक है। इसलिये घोटालों के पकड़े जाने पर बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।

खुश होने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है क्योंकि न तो एक पैसे की रिकवरी होनी है और न ही किसी की जेल होने वाली है। जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है कि पकड़े गये घोटाले की रिपोर्ट सरकार को भेजी गयी है जो चंडीगढ़ में रहती है। सरकार चलाने वालों को चुनाव भी लड़ना है, वोट बैंक भी बचाना है और पार्टी फ़ंड के अलावा अपना घर भी भरना है। इस सब के लिये आवश्यक है कि ले-दे कर घोटाले के जिन्न को फ़ाइलों में ही दफ़न कर दिया जाये।

आज से नहीं बीते तीसियों वर्ष से 'मज़दूर मोर्चा' नगर निगम में हो रही खुली लूट के बारे में लिखता आ रहा है। निगम अधिकारियों की हरामखोरी व रिश्वतखोरी के अनेकों मामलों का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया जा चुका है। निगम अपनी आय से अधिक के खर्चे दिखाकर सरकार से अनुदान व कर्ज तो लेता ही था इसके बावजूद अपनी जमीन-जायदादें बेच-बेच कर कर्मचारियों का वेतन अदा करता रहा है। और तो और कर्मचारियों का भविष्य निधि व पेंशन फ़ंड तक नहीं बख्शा। इतना ही नहीं आज तक इसके बैंक एकाऊंट एवं बही खातों का खुलासा नहीं हो पाया।

यदि सरकार चलाने वाला शासक वर्ग नगर निगम को (कभी न लौटाये जाने वाले) कर्ज तथा जमीने बेचने की इजाजत देने की बजाय इसके बही-खाते चैक करता अर्थात् ऑडिट करके नित नये होने वाले घोटालों को पकड़ कर यहां होने वाली लूट को पकड़ता व रोकता तो न तो शहर की यह हालत होती और न ही आज ये घोटाले इतने भारी-भरकम बन पाते।

जाहिर है आज तक हो चुके अरबों रुपये के घोटलों में केवल स्थानीय अधिकारी ही नहीं बल्कि शासक वर्ग में उच्चतम स्थानों पर बैठे लोग भी बराबर के भागीदार रहे हैं।